

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/एस-82/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्री सुरेश कुमार परमार, नर्स द्वितीय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमाणा (पाली) का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा आयोजित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग परीक्षा 2017-18 में चयन होने पर उनको आंवटित कॉलेज, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग करने व उक्त कोर्स हेतु कार्यमुक्त करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
2. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति, वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
4. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
5. नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा। व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की यह अध्ययन स्वयं के बकाया अवकाश/अध्ययन अवकाश पर करेंगे। प्रतिनियुक्ति मांग नहीं करेंगे।
6. संविदा/प्रोवेशन पर कार्यरत कर्मी उक्त प्रशिक्षण में चयन होने के पात्र नहीं माने जावेगे।

- 51 -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर

दिनांक:- 31/10/2017

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/एस-82/2017/898

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर।
- 2-चेयरमेन,नर्सिंग कौंसिल बोर्ड, 2017-18 एवं रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
- 3-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
- 4-संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5-प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6-आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर